न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 178 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024 / 281

प्रार्थीनी बनाम विप्रार्थीगण

बदामी देवी पत्नी हड़मानचंद
जाति सोनी
निवासी कीटनोद
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

1.ओटाराम पुत्र गोरखाराम
2.केराराम पुत्र रणछोड़राम
3.गौतम पुत्र रणछोड़राम
4.ताराराम पुत्र रणछोड़राम
5.दुरगा पुत्र लिछमणराम
6.नेमाराम पुत्र रणछोड़राम
7.नारायण पुत्र रणछोड़राम
8.पोकरराम पुत्र हीराराम
9.बगदाराम पुत्र गोरखाराम
10.बद्रीमल पुत्र हीराराम
11.भंवरलाल पुत्र रणछोड़राम
12.शंकर पुत्र प्रागा
13.हड़मानाराम पुत्र लिछमणराम
14.हरचंन्द पुत्र गोरखाराम
जाति कुम्हार (प्रजापति)
15.तीजो देवी पत्नी मांगीलाल
16.पोनी देवी पत्नी जवाराराम
जाति चौधरी
17.दयाराम पुत्र राजाराम
18.नेमाराम पुत्र मांगीलाल
19.भरत कुमार पुत्र मांगीलाल
20.मदनलाल पुत्र मांगीलाल
21.शंकरलाल पुत्र मांगीलाल जाति कलबी
22.नारायण सिंह पुत्र उदयसिंह
23.शक्ति सिंह पुत्र उदयसिंह
जाति राजपूत निवासी किटनोद
24..राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार
पचपदरा,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीनी

2.श्री दिनेश कुमावत विप्रार्थी संख्या 12

3. विप्रार्थी संख्या 1 से 11 व 13 से 24 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 11.06.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम कीटनोद पटवार हल्का कीटनोद तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 943/449 क्षेत्रफल 1.5783 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीनी द्वारा ग्राम कीटनोद पटवार हल्का कीटनोद तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 943/449 क्षेत्रफल 1.5783 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 12 की ओर से जरिए अधिवक्ता वकालतनामा पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 12 की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण जवाब बन्द किया गया तथा शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभय–पक्षकारान अधिवक्तो की बहस सुनी। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम कीटनोद पटवार हल्का कीटनोद तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 943/449 क्षेत्रफल 1.5783 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीनी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम कीटनोद पटवार हल्का कीटनोद तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 943/449 क्षेत्रफल 1.5783 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

किराडू :-

4.इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीनी की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में विप्रार्थी द्वारा कभी भी दखलदान्जी नहीं की गई है और न ही सीमाओं को लेकर वाद–विवाद किया गया है। प्रार्थीनी द्वारा झूठे तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किया है। विप्रार्थी को विवादित आराजी की सीमाज्ञान कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थीनी भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही एकपक्षीय तैयार की गई है। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थीनी का आवेदन गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5. हमनें उभय–पक्षकारान अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम कीटनोद पटवार हल्का कीटनोद तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 943/449 क्षेत्रफल 1.5783 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीनी विवादित भूमि की रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसकी प्रार्थीनी हकदार प्रतीत होती है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 25.6.2020 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीनी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6 .उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्षतः पर पंहुचा है,कि प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें की हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीनी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कीटनोद पटवार हल्का कीटनोद तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 943/449 क्षेत्रफल 1.5783 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। उक्त कार्यवाही करने से पूर्व एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर उभय–पक्षकारान को जरिए नोटिस सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 11.6.2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
11/06/2025